

# अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6-7, जाब्दा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

राजूदेवी

बनाम

सजना देवी आदि

### दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 160/दावा सन् 2014

निर्णय दिनांक. 16.12.2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अशोक कुमार आर.ए.एस बहाजरी श्री अनिल शर्मा मिनजानिब मुददई व श्री रतनलाल जाट मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि तहसीलदार दांतारामगढ के पत्रांक भू0अ0 /2020/2911 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्राप्त बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से जारी की जाती है :-

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान रूपये में
1	सजनादेवी पत्नि ताराचन्द हिस्सा 127/486 राहिन पी.एन.बी. शाखा खाटू मूर्तहीन राजूदेवी पत्नि गीगराज हिस्सा 116/486 राहिन नरसीलाल पुत्र भगला हिस्सा 1/2 एस.बी.बी. जे. शाखा खाटू मूर्तहीन जाति जाट सा. देह खातेदार	179/1	0.0880	बारानी-4	0.18
		किता-01	0.0880		0.18
2	राजूदेवी पत्नि गीगराज जाति जाट सा० देह	179/2	1.1390	बारानी-4	2.28
		किता-1	1.1390		2.28
3.	सजनादेवी पत्नि ताराचन्द जातिजाट सा. देह राहिन पी.एन.बी. शाखा खाटूश्यामजी मूर्तहीन	179/3	1.2470	बारानी-4	2.49
		किता-1	1.2470		2.49
4	नरसीलाल पुत्र भगला जाति जाट सा. देह राहिन एस.बी.बी.जे. शाखा खाटू मूर्तहीन	179/4	2.3860	बारानी-4	4.77
		किता-1	2.3860		4.77

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.12.2020 को जारी की गई।



16-12-20  
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मुद्दाई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अजी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अजी		
स्टाम्प वजह सबूत	-	-	महनताना वकील पर		
महनताना वकील	-	-	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	-	-	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	-	मुतफरिफ	0	00
मुतफरिफ	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नाट: इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दा फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

  
 उपखण्ड अधिकारी (कुमार)  
 उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ़

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 160 / दावा / 2014

- 1 राजूदेवी धर्मपत्नि गीगराज जाति जाट निवासी हनुमानपुरा खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– वादीया

ब नाम

- 1 सजना देवी पत्नि ताराचन्द
- 2 नसीलाल पुत्र श्री मंगला  
समस्त जाति जाट निवासी हनुमानपुरा खाटुश्यामजी तहसील दांतारामगढ।
- 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर।
- 4 उपं पजीयक दांतारामगढ जिला सीकर।
- 5 एसबीबीजे खाटुश्यामजी।

–प्रतिवादीगण

### दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिस्थिति:

1. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत, वकील वादीया की ओर से।
2. श्री रतनलाल जाट वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

  
उपखण्ड (अशोक कुमार) दांतारामगढ  
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ